आर्यभट्ट अकेडमी बनाम प्रदेश

59/18

88,93 [illegible]

तारीख	
21/9/2020	[illegible] पार्टी / आवेदक [illegible] / पार्टी / आवेदक के बाद आपत्ति पत्र पेश करने पर पक्षों को आवेदक के पक्ष में उपस्थित वकील का पक्ष सुना गया कि प्रतिपक्षीगण [illegible] विपक्षी [illegible] मे निविदा [illegible] प्रश्न पत्रपत्र मायजीपाल मे निविदा [illegible] का कोचान जारी [illegible] विपक्षी पक्षों से पार्टी के पक्ष में निष्पादित करा लिया गया है जिससे पार्टी पत्रपत्र मायजी का बन्द माफिक / [illegible] को [illegible] जिससे मात्र कोई [illegible] प्रतिपक्षीगण के मुख्य कोष नहीं रख है। अतः पत्र को निरस्त किया जाने का निवेदन सुना। [illegible] आवेदक के प्रा० पत्र पर सुना। पार्टी [illegible] पत्र को [illegible] नहीं चाहते हैं। पार्टी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पार्टी द्वारा अपने आपेक्षिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये / जिसे उनके आवेदक ने पहचान लिया। पहचान स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित किये। [illegible] पार्टी स्वयं भी पत्र को मानते [illegible] नहीं चाहते हैं। अतः पार्टी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर पत्र को [illegible] निरस्त किये जाने के आदेश किये जाते हैं। पक्षावली [illegible] चस्पद से कर दी।

Anitshah
Abhilasha
Mahawar

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 11:5
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner